उपायुक्त विषयक म्यूटेशन रिवीजन वाद सं0–24 ...
कलिमुल्ला नुरानी बनाम राजिया बेगम में पारित ...
अपील वाद संख्या ...
ल अभिलेख
खिल खरिज
या बेगम ब

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

आ दे श

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :– 04 / 2021–22

विकास इन्दवार वगै0 –बनाम– समसाद प्रवीण

अपीलार्थी विकास इन्दवार पिता– रामू इन्दवार (2) गोबर्धन साहु पिता –स्व0 बन्धु साहु (3) लुकुस कुल्लु पिता– मिलू कुल्लू (4) नारायण साहु पिता–स्व0 हीरा साहु (5) सीताराम साहु पिता– फिरु साहु (6) राजेश साहु पिता–चमरा साहु एवं अन्य ग्रामीण जनता सभी ग्राम– पतुरा थाना–बसिया जिला– गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया के दाखिल खारिज वाद सं0–12 / 2020–21 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि निम्न अपीलीय न्यायालय में शमशाद प्रवीण के द्वारा अपील दाखिल किया गया था। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा वगैर तथ्य एवं दाखिल खारिज से संबंधित कानून पर बिचार किए वगैर अपील स्वीकृत की गई है। प्रश्नगत भूमि मौजा–पतुरा थाना–बसिया जिला–गुमला अवस्थित आर0एस0 खाता सं0–72 प्लॉट सं0–89 रकबा–0.61 एकड़ से संबंधित है। अपीलार्थीगण मौजा पतुरा के ग्रामवासी है तथा प्रश्नगत जमीन में ग्रामीण हक के लिए जनहित के उद्देश्य से यह रिवीजन दाखिल किए है। प्रश्नगत जमीन आर0 एस0 खाता नं0–72 के आर0 एस0 खतियान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भूतपूर्व जमीनदार मसोमात रुपा कुमारी के नाम से बकास्त मालिक के रुप में दर्ज है तथा यह खेवट नं0–05 के अन्तर्गत आता है। प्रश्नगत जमीन का खेवट नं0–05 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूतपूर्व जमीनदार मसोमात रुपा कुमारी को प्रश्नगत खाता की जमीन खोरपोष में मसोमात मालावती कुवंर मुन्दर्जे खेवट नं0–04 से प्राप्त थी यह भी उल्लेख है कि खेवट नं0–05 के कॉलम 06 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मसोमात रुपा कुमारी को जमीन की बिक्री करने का हक नही दिया गया था। आर0एस0 खतियान के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मौजा–पतुरा के ग्रामवासी प्रश्नगत जमीन को सन–1932 ई0 के पूर्व से ही जनहित में इस्तमाल करते आ रहे है और प्रश्नगत जमीन उनके हक दखल में है। उत्तरवादी शमशाद प्रवीण का निम्न अपीलीय न्यायालय में यह कथन है कि भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा यह जमीन पन्नालाल मोदी को प्राप्त थी तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात पन्नालाल मोदी जो सुभाष

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 16:34:11 +05:30
Location: 192.168.5.104

Scanned with OKEN Scanner